

जाने योग्य देय के कार्यों के लिए ग्राम परिषद को कार्य सौंप सकता है;

(त) धारा 33 की उप धारा (3) के अधीन अभिरक्षा जिसमें ग्राम परिषद निधि रख सकेगा;

(थ) धारा 36 की उप धारा (2) के अधीन रीति जिसमें कर तथा शुल्क निर्धारित तथा वसूली करेगा;

(द) धारा 40 की उप धारा (1) के अधीन फार्म जिसमें मांग नोटिस भेजेगा;

(ध) धारा 40 की उप धारा (2) के अधीन रीति जिसमें किसी मांग नोटिस देगा;

(न) धारा 41 के अधीन फार्म जिसमें आय एवं व्यय के लेखा का रखरखाव करेगा;

(प) धारा 42 की उप धारा (1) के अधीन ग्राम परिषद द्वारा बजट तैयार करने का समय तथा रीति;

(फ) पद्धति जिसके तहत धारा 43 की उप धारा (1) के अधीन ग्राम परिषद की लेखा का लेखा परीक्षा की जानी है;

(ब) धारा 43 की उप धारा (4) के तहत अधिभारित राशि की वसूली की पद्धति

(भ) धारा 48 की उप धारा (3) के तहत ग्राम परिषद को हुए हानि की वसूली की पद्धति

(म) पद्धति जिसके तहत धारा 53 की उप धारा (3) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित पदों को आवर्तित किया जाएगा;

(य) धारा 63 की उप धारा (1) के तहत चीफ कैप्टेन अथवा उप चीफ कैप्टेन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखने की सूचना;

(र) धारा 67 की उप धारा (1) का खण्ड (छ) के तहत इसी तरह की अन्य शक्तियाँ और कार्य;

(ल) द्वीप परिषद की बैठक का समय और स्थान और धारा 68 की उप धारा (1) के तहत ऐसे बैठकों के लिए प्रक्रिया;